

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. In this agreement, words and expressions shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of the agreement.
2. In consideration of the payment to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.
3. The employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz :
 - i. Letter of Acceptance ;
 - ii. Notice to proceed with the works;
 - iii. Contractor's Bid;
 - iv. Contract Data;
 - v. Special Conditions of contract and general conditions of contract;
 - vi. Specification;
 - vii. Drawings;
 - viii. Bill of Quantities; and
 - ix. Any other document listed in the contract data as forming part of the contract.

Pal
21/6/24

P. V. V. V.
24-06-2024
EXECUTIVE ENGINEER
ROADS & WORKS DIVISION
P. V. V. V.
21/6/24

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा।
पत्रांक.....415...../ अनु०

ई० राजीव रंजन सुधांशु,
अधीक्षण अभियंता,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सहरसा।

सहरसा, दिनांक 20.06.2024/

पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन करने के संबंध में।

आपका पत्रांक 884 अनु०, दिनांक 19.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि निम्नांकित पथों के स्वीकृत प्राक्कलन में 12% GST प्रावधान था, जबकि विभागीय पत्रांक 3322 दिनांक 05.12.2022 द्वारा GST 12% से बढ़ाकर 18% GST किये जाने के फलस्वरूप आपके द्वारा समर्पित GST प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है। कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे की संवेदक द्वारा GST का भुगतान ससमय किया गया हो।

क्र० सं०	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	लम्बाई (KM)	GST दावा की राशि	पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि
1.	Construction of Road from Amarpur Jagdish Yadav Ke Ghar to Mahto tola Block Kahra. (MMGSY-Gen)	16 SBD /2022-23	0.550	2,40,616=00	51,29,675=00
2.	Construction of Road from PMGSY Road Loukahi to Pachpaniya tola Under Sattar Kataiya Block (MMGSY-SC)	22 SBD/ 2021-22	1.060	2,28,713=00	60,71,440=00

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
20/6/24
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
सहरसा।
20.6.2024

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा

पत्रांक 884 नगु०
प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सहरसा।

सहरसा दिनांक 19.6.24

विषय :

इंदु देवी, खड़गपुर वार्ड नं० 11, खड़गपुर, सहरसा संवेदक के द्वारा GST दावों के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव, ब्राडा, पटना का ज्ञापांक BRRDA(HQ) 43/2023-761 दिनांक 23.03.22

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में इंदु देवी, खड़गपुर वार्ड नं० 11, खड़गपुर, सहरसा संवेदक के द्वारा निम्नलिखित पथों का GST दावा भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अतः उनके द्वारा समर्पित मूल अभ्यावेदन आपके आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है। GST दावों की पथवार विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रमांक	पथ/पुल का नाम	
1.	Amarpur Jagdish Yadav ke Ghar to mahto Tola (MMGSYGen)	GST भुगतान हेतु दावे की राशि 240616.26
2.	Loukahi to pachpaniya Tola (MMGSYSC)	228713.51

अनु- यथावत।

विश्वासभाजन

18-06-2024

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।
18/6/24